उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या – 12 / 2024

सुरेश प्रसाद यादव (Owner of Truck No. JH02P-5631) बनाम् D.F.O Ramgarh

आदेश को क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
27/08/24	**–:: आदेश ::–** अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी सुरेश प्रसाद यादव, पिता–छोटेलाल यादव, ग्राम–लोधमा, थाना+जिला–रामगढ द्वारा इस न्यायालय के राज्यसात अपील वाद संख्या–09 / 2016 में दिनांक–17.06.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध विद्वान पुनरीक्षण प्राधिकारी सह–अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के न्यायालय में रिवीजन वाद संख्या–79 / 2017 में दिनांक–03.04.2018 को पारित आदेश के आलोक में प्रारंभ किया गया। उन्होंने वाद को रिमांड करते हुए निदेश दिया है कि उभय पक्षों के कागजात एवं पुनः जाँच करते हुए आदेश पारित करेंगें। इसके आलोक में उभय पक्षो को नोटिस निर्गत करते हुए वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ से निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन में बताया गया कि वर्तमान जब्ती कार्यवाही रामगढ़ थाना काण्ड संख्या–04 / 2015 से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत् रामगढ़ पुलिस ने ट्रक रजिस्टर नंबर–JH-02P-5631 को उस पर लदे 15 टन स्टीम कोल के साथ जब्त किया था और बाद में उपर्युक्त रामगढ पुलिस स्टेशन में मामला आईपीसी की धारा–414 / 34, 30-II कोल माईन्स एक्ट और भारतीय वन अधिनियम की धारा–33 के तहत् पंजीकृत किया गया था। जिसके आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा Confiscation Case No.-80/2015 प्रारंभ किया गया एवं तथ्यों के साक्षी से जाँच किए बिना ही राज्यसात का आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा भवदीय न्यायालय में अपील वाद संख्या–09 / 2016 दायर किया गया। भवदीय न्यायालय द्वारा भी अपील आवेदन अस्वीकृत किए जाने के कारण पुनरीक्षण प्राधिकारी–सह–अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन वाद संख्या–79 / 2017 दायर किया गया। पुनरीक्षण प्राधिकारी–सह–अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा सभी तथ्यों पर सुनवाई की गई एवं अपील आवेदन 09 / 2016 को खारीज करते हुए पुनः भवदीय को Fresh Speaking Order पारित करने का आदेश पारित किया गया है। जिसके आलोक में यह अपील आवेदन भवदीय न्यायालय में दायर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता यह भी बताया गया कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अपने दावे के समर्थन में व्यवहार न्यायालय, रामगढ़ में दायर जी०आर० संख्या–68 / 2015, दिनांक–26.05.2023 को पारित आदेश को मुक्त किया गया था। इन्होंने बहस के दौरान कहा कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़	

द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि घटना स्थल पर ट्रक ड्राईवर मोति महतो धारा–33 एवं भारतीय वन अधिनियम, 414/34 भा०द०वि० एवं 30(ii) एवं कोल माईन्स एक्ट के अन्दर घटित हुई थी। ये प्रतिवेदन न्यायालय को गुमराह करने हेतु दिया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा विषयगत मामले के संबंध में राज्यसात वाद संख्या–79/2017 प्रारंभ करते हुए अपने आदेश फलक में अंकित किया गया है कि जब्ती के संबंध में जब्ती का प्रस्ताव इस न्यायालय में पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ से उनके ज्ञापन संख्या–1643 दिनांक–02.07.15 के तहत् प्राप्त हुआ था, जिसमें एफ०आई०आर० जब्ती सूची की प्रति और उप पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ की पर्यवेक्षण रिपोर्ट संलग्न थी और तद्नुसार वर्तमान कार्यवाही दिनांक–03.07.2015 को शुरू की गई थी और इसे ट्रायल कोर्ट को पत्र संख्या–186 (रा०) दिनांक–23.09.2015 के तहत् विधिवत सूचित किया गया था। दिनांक–03.07.15 और संबंधित पक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उपर्युक्त विपक्षी पक्ष की ओर से उनके अधिकृत अधिवक्ता द्वारा दिनांक–21.11.2015 को कारण बताओ नोटिस प्रस्तुत किया गया, साथ ही विपक्षी पक्ष द्वारा निष्पादित वकालतनामा भी प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के अतिरिक्त एक रिहाई याचिका भी दाखिल की गई। विपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा कारण बताओ नोटिस के साथ–साथ केस अभिलेख का अवलोकन किया गया। संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक–04.01.2015 को लगभग 5:45 बजे अपराह्न अरविन्द कुमार वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक (परिवीक्षाधीन) सह प्रभारी पदाधिकारी, रामगढ़ पुलिस स्टेशन, अन्य कर्मचारियों के साथ गश्त पर निकले। इसी बीच सूचना मिली कि जंगल से निकाला गया कोयला एक बारह चक्का ट्रक पर लोड किया गया है तथा उक्त ट्रक अपने गंतव्य की ओर जा रहा है। जब गश्ती दल बारलौंग नदी पर बने पुल के पास पहुंचा, तो गोला की ओर जा रहा एक ट्रक दिखाई दिया। पुलिस को देखकर ट्रक चालक ने वाहन रोक दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे ट्रक सहित पकड़ लिया। संबंधित कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके फलस्वरूप स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में ट्रक संख्या JH-02P-5631 तथा उस पर लदे कोयले को जब्त कर लिया गया तथा जब्ती सूची तैयार कर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। सूचक के लिखित बयान के आधार पर रामगढ़ थाना कांड संख्या–4/15 भारतीय वन अधिनियम की धारा–33, 414/34 प्रथम दंड प्रक्रिया संहिता तथा 30(ii) कोयला खनन अधिनियम के तहत् दर्ज किया गया, जिसमें वाहन चालक सहित चार लोगों को आरोपित किया गया है। जाँच के बाद पुलिस ने ट्रक चालक मोती महतो के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम की धारा 33, I.P.C की धारा–414/34 और कोयला खनन अधिनियम की धारा 30(ii) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। घटना के समय मालिक मौजूद नहीं था और वह इस मामले में शामिल नहीं है। उन्होंने आगे दलील दी है कि मालिक को घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह संबंधित कोयले पर नहीं बल्कि जब्त ट्रक पर दावा कर रहा है। इसके अलावा यह दलील दी गई है कि संबंधित वाहन चालक के पास रहता है और माल परिवहन के लिए हमेशा चालक के पास किराए पर रहता है। लेकिन न तो कारण बताओ नोटिस में और न ही मौखिक दलीलों में यह दलील दी गई है कि चालक मोती महतो उसका नौकर नहीं था। कानून में यह प्रावधान है कि यदि वाहन का उपयोग वन अपराध के दौरान किया जाता पाया है तो

Uh

उसके नौकर या एजेंट के कृत्य और कार्रवाई के कारण वाहन जब्त किया जा सकता है और वाहन के मालिक को अपने चालक/नौकर/एजेंट को निर्दोषता और गैर–मिलीभगत साबित करनी होगी। इस बात को साबित करने में विफल रहे। इतना ही नहीं, मालिक कोयले की खरीद और परिवहन के बारे में कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। वर्तमान मामले में भारतीय वन अधिनियम की धारा–33 के तहत दंडनीय अपराध किया गया है और संबंधित वाहन को ऐसे वन अपराध में इस्तेमाल किया गया पाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा संबंधित वाहन यानी ट्रक नंबर JH-02P-5631 और उस पर लदे 15 टन स्टीम कोयले को जब्त किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा विधिवत् न्यायिक प्रक्रिया के तहत् आदेश पारित किया गया है। अधिसूचित वन क्षेत्र/कोल माईन्स एक्ट अंतर्गत जप्त वाहन एवं उस पर लदा कोयला को जप्त किया गया है। जो भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–33 के तहत् दण्डनीय अपराध है। फलतः जप्त ट्रक संख्या–JH02P-5631 को भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–52(3) के तहत् राज्यसात निम्न न्यायालय द्वारा किया गया है, जो विधिसंगत है। इन्होंने अपील आवेदन अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता का बहस सुना तथा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश अभिलेख में संलग्न कागजातों को अवलोकन किया स्पष्ट है कि :–

(1) जप्त वाहन में कोयला लदा हुआ पाया गया है, जो कुंदरू–सरैया दामोदर नदी के किनारे जो अधिसूचित वन क्षेत्र का भाग है, से अवैध कोयला को उत्खनित किया गया है।

(2) निम्न न्यायालय द्वारा जप्त वाहन में लदा कोयला को कोल माईन्स एक्ट–1957 तथा भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–33 के उल्लंघन के आरोप में धारा–52(3) के तहत् राज्यसात किया जाता है।

अतः अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद निरस्तारित किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 27/08/24
उपायुक्त
रामगढ़।

Chandan 27/08/24
उपायुक्त
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.09.27 16:52:24 +05:30
Location: 192.168.32.197